

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/16

जयपुर, दिनांक : 24 MAY 2018

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'पंचम' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम एवं पदनाम आवंटि	सेवानिवृत्ति दिनांक	प्रस्तावित आवंटित आवास
1.	195/1997	श्री बाबूलाल मीणा ऑफ सैट प्रिन्टर (सूचना शाखा) कृषि निदेशालय राज. जयपुर	31.5.2030	5/100 गांधीनगर
2.	125/2011	श्री बृजमोहन यादव कनिष्ठ लिपिक श्रम एवं नियोजन विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	30.6.2046	5/113 गांधीनगर
3.	1/2012	श्री सौरभ सक्सेना कनिष्ठ लिपिक चिकित्सा (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	31.8.2042	5/137 गांधीनगर
4.	79/2007	श्रीमती निर्मला चौधरी ए.एन.एम. जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर।	31.7.2037	5/146 गांधीनगर
5.	80/2007	श्री रतन सिंह डार्करूम सहायक सवाई भानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर।	30.6.2028	5/149 गांधीनगर
6.	82/2007	श्री कुशल चन्द तिवारी कनिष्ठ लिपिक निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।	31.8.2026	5/150 गांधीनगर
7.	2/2012	श्री महेन्द्र कुमार डोंगर कनिष्ठ लिपिक कार्यालय प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शासन सचिवालय जयपुर।	31.12.2041	5-डी/19 बहुमंजिला गांधीनगर
8.	10/2012	श्री राजकुमार भार्गव कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (क-3/निरोक्षण) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।	31.7.2050	5-डी/7 बहुमंजिला गांधीनगर
9.	83/2007	श्री मनोहर लाल शर्मा कनिष्ठ लिपिक विधि राजकीय वा.करण, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.7.2021	5-ए/9 बहुमंजिला गांधीनगर
10.	84/2007	श्री जितेन्द्र फलवारिया कनिष्ठ लिपिक कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।	28.2.2039	5-ए/12 बहुमंजिला गांधीनगर
11.	85/2007	श्री रामअवतार चौधरी वरिष्ठ लिपिक निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।	31.7.2026	5-ए/13 बहुमंजिला गांधीनगर
12.	11/2012	श्री आरिफ अहमद कनिष्ठ लिपिक चिकित्सा (ग्रुप-3)विभाग शासन सचिवालय जयपुर।	31.8.2048	5-ए/20 बहुमंजिला गांधीनगर
13.	12/2012	श्री कृष्णराज कनिष्ठ लिपिक आयुर्वेद विभाग शासन सचिवालय जयपुर।	31.3.2045	5-ए/21 बहुमंजिला गांधीनगर
14.	86/2007	श्री भूपेन्द्र शर्मा अन्वेषक संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर।	30.1.2034	5-ए/24 बहुमंजिला गांधीनगर
15.	87/2007	श्री रवि कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर।	31.5.2022	5-बी/23 बहुमंजिला गांधीनगर

2.

16.	89/2007	श्री रूपा राम मेघवाल कनिष्ठ लिपिक निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।	31.5.2033	5-डी/9 बहुमंजिला गांधीनगर
17.	13/2012	श्री हेमन्त पण्ड्या कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (ख-3/सुरक्षा) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।	30.11.2048	5-ए/3 बहुमंजिला गांधीनगर
18.	16/2012	श्री शशि प्रकाश लाटा कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	31.7.2040	5/54 गांधीनगर
19.	90/2007	श्री महेन्द्र कुमार बिलोनिया कनिष्ठ लिपिक निदेशालय, पशुपालन विभाग, जयपुर।	31.12.2040	5/60 गांधीनगर
20.	93/2007	श्री गिरराज प्रसाद कनिष्ठ लिपिक पर्यटन विभाग, जयपुर	31.3.2040	5/64 गांधीनगर
21.	96/2007	श्रीमती परमजीत कौर ए.एन.एम. वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय जयपुर।	31.10.2030	5/67 गांधीनगर
22.	17/2012	श्री राजेश प्रताप सिंह कनिष्ठ लिपिक राजस्व (ग्रुप-7) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	31.7.2052	5/96 गांधीनगर
23.	25/2012	श्री महेन्द्र कुमार सरावता कनिष्ठ लिपिक सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.9.2043	जीएडी/5/टी-1/47 विद्याधर नगर
24.	97/2007	श्री राजबीर शर्मा प्रहरी-ईपीएफ आबकारी निरोधक दल जयपुर शहर, जयपुर।	30.6.2037	जीएडी/5/टी-1/53 विद्याधर नगर
25.	100/2007	श्री हरिराम मीणा, वाहन चालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) जयपुर।	31.7.2023	जीएडी/5/टी-1/54 विद्याधर नगर
26.	101/2007	श्री शंकर सिंह रेफ्रिजरेटर मैकेनिक निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।	31.7.2028	जीएडी/5/टी-1बी/89 विद्याधर नगर
27.	26/2012	श्री नाथू लाल मीणा कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (ख-3) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	30.4.2033	जीएडी/5/टी-1/91 विद्याधर नगर
28.	27/2012	श्री सांवरमल शर्मा कनिष्ठ लिपिक शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.7.2046	जीएडी/5/टी-1/110 विद्याधर नगर
29.	102/2007	श्री शंकर लाल जाट वाहन चालक मोटर गैराज विभाग, जयपुर।	31.5.2032	जीएडी/5/टी-1/125 विद्याधर नगर
30.	104/2007	श्री दमयन्ती पारीक ए.एन.एम राजकीय चिकित्सालय, जिला न्यायालय	31.8.2030	जीएडी/5/टी-1/128/बी विद्याधर नगर
31.	105/2007	श्री महेश मेहरा नील मुद्रक सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड द्वितीय, जयपुर।	30.7.2031	जीएडी/5/टी-1/135 विद्याधर नगर
32.	28/2012	श्री जितेन्द्र कुमार कनिष्ठ लिपिक वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	31.5.2045	जीएडी/5/टी-1/153 विद्याधर नगर

2.

33.	29/2012	श्री मोहम्मद वसी कनिष्ठ लिपिक विधि विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।	30.5.2045	जीएडी/5/टी-1/159 विद्याधर नगर
34.	107/2007	श्री ओमप्रकाश रैगर कनिष्ठ लिपिक उद्योग विभाग, जयपुर।	31.10.2037	जीएडी/5/टी-1/160 विद्याधर नगर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
9. क्रम संख्या 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 एवं 17 पर अंकित आवण्टियों से कॉमन सुविधा राशि रूपये 75/- (अक्षरे राशि रूपये पिचहत्तर मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

EO

(गौरव बजाड़)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. निदेशक, कृषि निदेशालय राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. अधीक्षक, जे.के. लॉन अस्पताल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. प्राचार्य, सवाई मानसिंह आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. निदेशक, राजकीय वादकरण विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. निदेशक, संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

12. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ग्रामीण स्वास्थ्य), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
14. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर उपखण्ड-2 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
16. अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
17. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
18. नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
19. प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय, जिला न्यायालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
20. अधीक्षक, वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
21. वित्तीय सलाहकार कार्मिक(ग-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
22. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावें।
23. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
24. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
25. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
26. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
27. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (मुख्यालय) जयपुर।
28. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/ विद्याधर नगर, जयपुर।
29. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल/ विद्याधर नगर, जयपुर।
30. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर/ पुलिस अकादमी परिसर, पानीपेच, जयपुर -कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
31. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मिलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
32. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रावे।
33. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान वितरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर